न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मण्डल ग्वालिर म.प्र.

प्रकरण कमांक मिस. 886-I/12

सुदेश पिता मदनमोहन किलेवाला
निवासी नीमच म0प्र0 ----- आवेदक

विरूद्ध
1. श्री रमेश चन्द्र सेठी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन
2. म0प्र0शासन ----- अनावेदक

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 29 म.प्र. भू– राजस्व संहिता, 1959

मान्यवर महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है कि :–

1– यहकि आवेदक ने कलेक्टर महोदय, जिला नीमच, म0प्र0 के समक्ष एक आवेदन पत्र भूमि की अदला–बदली हेतु प्रस्तुत किया था जो प्रकरण कमांक 07/ए/19(4)/06–07 पर दर्ज किया गया । जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा विस्तृत जांच के पश्चात दिनांक 29–04–06 को भूमि की अदला–बदली का आदेश आवेदक के पक्ष में पारित किया गया था और तदनुसार उक्त आदेश का पालन किया गया । उसके पश्चात आवेदक द्वारा उस भूमि को उन्नत बनाए जाने में काफी धनराशि व्यय की है ।

2– यहकि श्रीमान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के पत्र कमांक 11076/एफ–88/रीडर–1/2011 दिनांक 3–12–11 के अनुकम में कलेक्टर के आदेश को स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया है

3– यहकि, इसके पश्चात अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग द्वारा आवेदक को दिनांक 29–2–12 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने का आदेश दिया गया एवं दिनांक 30–3–12 को आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं प्रकरण में दिनांक 16–4–12 जबाव हेतु नियत की गई है ।

मिस 886-I/12 निर्णय

9.8.2016	आवेदक की ओर से श्री के०के० द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण निरर्थक होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण निरर्थक होने से निरस्त किया जाता है।
	अध्यक्ष